न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला-टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 197/2016 निर्णय दिनांक :-24.12.2024

उनवानी दावा :

रामस्वरूपी पत्नी दुर्गालाल जाति मीणा निवासी सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक राज0

-वादीया-

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक

- प्रतिवादीगण-

उपस्थिति :-

श्री अशोक कुमार गुप्ता सरकार अधिवक्ता वादी — पैरोकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया को भू-आवंटन कमेटी द्वारा साबिक ख. नं. 646 रकबा 10 बिस्वा, ख. नं. 647 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, व ख. नं. 1628 रकबा 1 बीघा कुल 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि नियमानुसार दिनांक 30.06.1987 को आवंटित की गई थी और आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित भूमि पर हल्का पटवारी द्वारा रूबरू गवाहान कब्जा सुपुर्द किया गया था। उक्त भूमि आवंटित करते समय उबड़ खाबड़ थी, वादीया काफी पैसा लगाकर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया है आज भी वादीया का उक्त भूमि पर कब्जा है और सरसों की फसल वर्तमान मे काश्त कर रखी है। हाल ही मे देवली तहसील मे सेटलमेन्ट हुआ है ओर सेटलमेन्ट के दौरान काफी अनियमितताऐ को गई है साबिक ख. नं. 647 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर ही वर्तमान मे वादीया का कब्जा हे शेष भूमि बाबत वादीया किसी भी प्रकार का कोई क्लेम प्रस्तुत नही कर रही है । सेटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नम्बर 647 के नये नम्बर 1162 रकबा 0.20 है0 व ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 ही बना दिये गये है। ग्राम सांवतगढ में से ढाणी के राजस्व गांव बन जाने के कारण हाल खसरा नम्बर 1162 के नये नम्बर 542 रकबा 0.20 है0 बना दिये गये और उक्त भूमि को वादीया की खातेदारी में लगा दिया गया तथा खसरा नम्बर 1162 को खातेदारी मे लगाने के बाद ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 के नये नम्बर 388 बना दिये गये ओर उक्त भूमि को राजस्व रिकोर्ड मे सिवायचक अंकित कर दिया गया जब कि उक्त भूमि को सेटलमेन्ट के दोरान वादीया की खातेदारों में अंकित किया जाना चाहिये था। इसलिए यह वाद बाबा घोषणा खातेदारी व दुरुस्ती इन्द्राज का श्रीमान का सेवा मे पेश हे । प्रतिवादीगण आये दिन वादीया के कब्जेकाश्त मे मजाहमत करते है इस कारण उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे जरिये ऐजेन्ट, नोकर, हल्का पटवारी के वादीया की खातेदारी व कब्जे के खेत ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0, वाके ग्राम सांवतगढ़ में मजाहमत नही करे, वादीया को उक्त भूमि से बेदखल नही करे, पेनेल्टी वसूल नही करे, और उक्त भूमि अन्य को रहन, दान, बेचान आदि नहीं करे । वादीया को आवंटित साबिक ख. नं. 647 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा को हैक्टयर में परिवर्तित करने पर 0.67 है0 बनते है जिसमें से 20 एअर जमीन तो वादीया की खातेदारी मे लगादी गई है, शेष 0.47 है0, भूमि उक्त खसरा नम्बर 388 के रकबे मे नही है, इस कारण खसरा नम्बर 388 रकबा 0.42 है0 की हद तक यह

Scanned with OKEN Scanner

वाद बाबत घोषणा खातेदारी का श्रीमान को सेवामे पेश है । उक्त वाद मे जिला कलेक्टर व उनके अधि० कर्मचारियो को पक्षकार बनाया गया है, तहत कानून उनके विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण यह वाद बिना नोटिस दिये हो श्रीमान की सेवामे पेश है। धारा 80(2), सीपीसी का प्रा०पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है । बिनाय दावा आज से एक माह पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब हल्का पटवारी ने वादीया को उक्त भूमि से बेदखल करने की कोशिश को जो निरन्तर रूप से जारी है।

विवादाग्रस्त आराजियात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार ने होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

दावा अ0 धारा 88, 92–ए–188, राज0 टि०एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है ।

वादीया को अधियाचना है कि:

व:– दावा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाकर वादीया को हाल ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम सांवतगढ़ तहसील देवली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकोर्ड मे दुरुस्ती किया जावे।

ब:– दावा बहक बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा किया जाकर प्रत्तिवादोगण को पाबन्द किया जावे कि वे स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नाकर या हल्का पटवारी के वादीया की खातेदारी व कब्जे के खेत ख. नं. 388 मे मजाहमत नही करे, वादीया को बेदखल नही करे, पेनल्टी वसूल नही करे और उक्त भूमि अन्य भूमि को संस्था या व्यक्ति को बेचान नहीं करे, आवंटित नही करे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:–बिन्दू सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। चरण नं. 2 अस्वीकार है। चरण नं. 3 अस्वीकार है। चरण नं. 4 जिस तरह से तहरीर किया गया है, अस्वीकार है। ग्राम सांवतगढ के ख. नं. 647 का नवीन ख. नं. 1162 रकबा 0.20 है0 बनाया गया। ग्राम सांवतगढ में से नवीन राजस्व ग्राम दांता बनने पर ख. नं. 1162 रकबा 0.20 हे0 का नवीन ख. नं. 542 रकबा 0.20 है0 बना जो मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वादीया के नाम दर्ज है। ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 पुराने ख. नं. (601 मि., 647 मि., 646 मि.) से बनाया गया है। ख. नं. 1023 का नवीन ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 दावा बनने के फलस्वरूप बनाया गया है जो सिवायचक सरकारी भूमि है। चरण नं. 5 अस्वीकार है, वादीया को प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। चरण नं. 6 अस्वीकार है। बिन्दू संख्या 7 से 11 न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। विशेष:–ख. नं.388 रकबा 0.42 है0 सिवायचक सरकारी भूमि होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

<u>तनकियात बिन्दू:–</u>

1. **आया वादी हाल आराजी ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम सांवतगढ तहसील देवली का खातेदार काश्तकार अपने आप को घोषित करवाने व इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है ?** –वादीया–
2. आया वादी हाल आराजी ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम सांवतगढ तहसील देवली में वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में बाधा व मजामहत उत्पन्न नहीं करने तथा वादीगण को बेदखल नहीं करने, पेनल्टी वसूल नहीं करने व अन्य संस्था को आवंटन नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है?

Scanned with OKEN Scanner

—वादीया—

3. आये प्रतिवादीगण, हाल आराजी ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम सांवतगढ तहसील देवली राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक होने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है?

—पेरोकार सरकार—

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर पी. डब्ल्यू—1 रामस्वरूपी पत्नी दुर्गालाल जाति मीना उम्र बालिग निवासी सांवतगढ तहसील देवली पी. डब्ल्यू— 2 राधाकिशन पुत्र नेहनुराम जाति मीणा उम्र 69 वर्ष निवासी सांवतगढ तहसील देवली व पी. डब्ल्यू— 3 धर्मसिंह पुत्र मोतीलाल जाति मीणा उम्र 55 वर्ष निवासी दाता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली का पेश किया।

पी. डब्ल्यू— 1 ने वाद प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:—प्रदर्श—1 काश्त करने के लिये नई जमीन दी जाने हेतु आवेदन पत्र , प्रदर्श—2 भू—आवंटन सलाहकार समिति पत्र मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श—3 सुपुर्दगीनाम आवंटन भूमि सिवायचक रकबा, प्रदर्श—4 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—5 जमाबन्दी सम्वत 2069—72 प्रदर्श—6 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046—65, प्रदर्श—7 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2069—72, प्रदर्श—8 पी. 14 सम्वत 2073, प्रदर्श—8 जमाबन्दी सम्वत 2069—72, प्रदर्श—10 पी. 14 सम्वत 2074, प्रदर्श—11 पी. 14 सम्वत 2069 प्रदर्श—12 पी. 14 सम्वत 2077 पेश कर वाद डिकी करने की प्रार्थना की है।

जिरह निल रहीं।

साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेराकार सरकार द्वारा साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया को भू—आवंटन कमेटी द्वारा साबिक ख. नं. 646 रकबा 10 बिस्वा, ख. नं. 647 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, व ख. नं. 1628 रकबा 1 बीघा कुल 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि नियमानुसार दिनांक 30.06.1987 को आवंटित की गई थी और आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित भूमि पर हल्का पटवारी द्वारा रूबरू गवाहान कब्जा सुपुर्द किया गया था। देवली तहसील मे सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नम्बर 647 के नये नम्बर 1162 रकबा 0.20 है0 व ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 बनाये गये। ग्राम सांवतगढ में से दांता ढाणी के राजस्व गांव बन जाने के कारण हाल खसरा नम्बर 1162 के नये नम्बर 542 रकबा 0.20 है0 बना दिये गये और उक्त भूमि को वादीया की खातेदारी में लगा दिया गया ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 के नये नम्बर 388 बना दिये गये ओर उक्त भूमि को राजस्व रिकोर्ड मे सिवायचक अंकित कर दिया गया जब कि उक्त भूमि को सेटलमेन्ट के दोरान वादीया की खातेदारों में अंकित किया जाना चाहिये था। सेटलमेंट को पूर्व प्रविष्टियों को दोहराना चाहिए था। अतः ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 को वादीया की खातेदारी में लगाने हेतु वाद डिक्री किया जावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे जरिये ऐजेन्ट, नोकर, हल्का पटवारी के वादीया की खातेदारी व कब्जे के खेत ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0, वाके ग्राम सांवतगढ़ में मजाहमत नही करे, वादीया को उक्त भूमि से बेदखल नही करे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित भूमि वर्तमान में सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर सेटलमेंट के समय

Scanned with OKEN Scanner

वादीया का लगातार कब्जाकाश्त नहीं रहने से सिवायचक किया गया, जो नियमानुसार सही है। ऐसी स्थिति में वाद खारिज योग्य है।

तनकीवार निर्णयः—

तनकी नं. 1 का निर्णय :—

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादी ने अपने वाद को साबित करने के के लिए प्रदर्श—1 काश्त करने के लिये नई जमीन दी जाने हेतु आवेदन पत्र में साबिक ख. नं. 646 रकबा 10 बिस्वा, साबिक ख. नं. 647 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, व साबिक ख. नं. 1628 रकबा 1 बीघा कुल 4 बीघा 3 बिस्वा व ख. नं. 1384 के लिए आवेदन किया है तथा इसी आवेदन पत्र के पृष्ट पर यह टिप्पणी अंकित है कि साबिक ख. नं. 1628 रकबा 1 बीघा, साबिक ख. नं. 646 रकबा 10 बिस्वा, साबिक ख. नं. 647 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा पर हरनाथ पुत्र तेजा के नाम अतिक्रमण दर्ज है।

प्रदर्श—2 भू—आवंटन सलाहकार समिति पत्र में साबिक ख. नं. 646 रकबा 10 बिस्वा, साबिक ख. नं. 647 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, साबिक ख. नं. 1628 रकबा 1 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटित की जाती है। प्रार्थी का आवंटित भूमि गैर खातेदारी अधिकार दर्ज किया जाऐ।

प्रदर्श—3 सुपुर्दगीनामा में साबिक ख. नं. 646 रकबा 10 बिस्वा, साबिक ख. नं. 647 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, साबिक ख. नं. 1628 रकबा 1 बीघा भूमि का कब्जा देने का पत्र दर्शित है।

प्रदर्श—6 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046—65 के अनुसार ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 पुराने ख. नं. 601 मि., 647 मि., 646 मि. से बनना दर्शित है।

प्रदर्श—8, 10 व 11 पी. 14 सम्वत 2073 में खसरा नम्बर 388 में 0.42 है0 पर वादीया द्वारा ज्वार की फसल काश्त दर्शित है।

प्रदर्श—9 जमाबन्दी सम्वत 2069—72 में ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 सिवायचक खाता संख्या 1 की भूमि दर्शित है।

प्रदर्श—5 जमाबन्दी सम्वत 2069—72 ख. नं. 542 रकबा 0.20 है0 भूमि वादीया की खातश्ेदारी की भूमि है।

उक्त प्रदर्शो का विवेचन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आते है कि वादीया ने हाल ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 के लिए वाद प्रस्तुत किया है। हाल ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0, ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 से बना है। मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046—65 के अनुसार ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 साबिक ख. नं. 601 मि., 647 मि., 646 मि. से बनना दर्शित है। साबिक ख. नं. 647 मि. रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा से हाल ख. नं. 1162 रकबा रकबा 0.20 है0 बना है जिससे ग्राम सांवतगढ ढाणी से नया ग्रम दाता ढांणी बनने से हाल ख. नं. 542 रकबा 0.20 है0 बना है जो वादीया के नाम खातेदारी में है। ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 केवल साबिक ख. नं. 647 मिन से ही नहीं बना है बल्कि इसके साथ साबिक ख. नं. 601 व 646 से भी बना है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक ख. नं. 601 मि., 647 मि., 646 मि. से अन्य हाल ख. नं 1022 भी बना है।

अतः मिलान क्षैत्रफल से साबिक ख. नं. 647 मि. रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा से ख. नं. 1023 रकबा 0.42 है0 व बाद में नया ग्राम सृजित होने से ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 बनना साबित नहीं होने से तथा आवंटन दिनांक से लगातार कब्जा साबित नहीं करने से इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीया प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं. 2 का निर्णय :— इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर था । तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार वादीया ख. नं. 388 रकबा 0.42 है0 पर अपनी खातेदारी साबित करने में

असफल रही । अतः विवादित भूमि वादीया की खातेदारी की भूमि नहीं होने कारण प्रतिवादीगण को जरिऐ स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारीणी नहीं है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीया प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं. 3 का निर्णय :– इस तनकी को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था ।यद्यपि पेरोकार सरकार ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य व प्रलेखिय साक्ष्य पेश नहीं किये है तथापि तनकी नं. 1 निर्णय अनुसार वादीया ने भी विवादित आराजी को अपनी खातेदारी में साबित नहीं किया है और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त विवादित भूमि सिवायचक भूमि है जिसको संरक्षित रखने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होने से इसका निर्णय भी विरूद्ध वादीया प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

तनकीवार विवेचन, विश्लेषण से विवादित आराजी पर वादीया का लगातार कब्जेकाश्त साबित नहीं होने व विवादित आराजी को मिलान क्षेत्रफल द्वारा साबित नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली तरतीब तकमील होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner